

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/18/2025

श्री ऋषभ शर्मा पुत्र दिनेश चन्द शर्मा निवासी अनाह गेट, बजरिया जिला
भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला खेल अधिकारी भरतपुर

.....रेस्यो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 30.05.2025

अपीलार्थी श्री ऋषभ शर्मा पुत्र दिनेश चन्द शर्मा निवासी अनाह गेट, बजरिया जिला भरतपुर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै0 भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर आया कि चाही गई सूचना जिला खेल अधिकारी से सम्बन्धित होने के कारण अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै0 भरतपुर द्वारा आर. टी.आई की धारा 6(3) के अन्तर्गत मूल प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आर.टी.आई./12/12 ()2025/ 1773 दिनांक 03.04.2025 से जिला खेल अधिकारी भरतपुर को अग्रप्रेषित किया गया था।

ऐसी स्थिति में कार्यालय में प्राप्त अपील दिनांक 14.05.2025 एवं अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर के पत्रांक प./सू.अ.(13)/प्र.अ./2025/131 दिनांक 20.05.2025 के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/442 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, एवं जिला खेल अधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये

.....2



जिला कलक्टर
भरतपुर


(2)

अपील/आरटीआई/22/2025
ऋषभ शर्मा बनाम लो.सू.अ. जिला खेल अधिकारी भरतपुर

जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, जिला खेल अधिकारी भरतपुर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, जिला खेल अधिकारी भरतपुर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी जिला खेल अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी जिला खेल अधिकारी भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै0 भरतपुर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर